BY SPEED POST

No 25017/4/2017-Silk
Government of India
Ministry of Textiles
(Silk Section)

Udyog Bhavan, New Delhi,

Dated 8th May, 2017.

To

The Chief Executive Officer,
Unique Identification Authority of India,
3rd Floor, Tower II Jeevan Bharati Building,
Connaught Circus, New Delhi-110 001

(Attn: Dr.Saroj K.Adhikari, Deputy Director(DBT)
(E-mail: saroj.adhikari@uidai.net.in)

Subject: Publication of Notification for use of Aadhaar under Section 7 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 for Subsidy under the "Scheme for Development of Silk Industry".

Sir,

I am directed to refer to your Circular No.23011/Gen/2014/Legal-UIDAI dated 15th September,2016 on the subject mentioned above and to enclose herewith a copy of a Notification (in Hindi and English) (S.O. No.1292(E) for use of Aadhaar under section 7 of the Aadhaar Act 2016 in respect of Integrated Scheme Development of Silk Industry. Notification has been published in Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India (Extraordinary) (No. 1145) on 25.04.2017.

Yours faithfully,

(Alka Soni)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 2306 1561

Encl: As above

Copy forwarded for information to:-

1. The Member Secretary, Central Silk Board, CSB Complex, B.T.M. Layout, Bengaluru-560068.
2. Economic Division, Ministry of Textiles.

Encl: As above

DS(1)-RCD
- upload in website
- PFMS - DBT portal
- circulate to DOS/CSB
12/5

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1145] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939
No. 1145] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/VAISAKHA 5, 1939

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

का.आ. 1292(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) मंत्रालय में केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) के अधीन स्थापित एक कानूनी निकाय केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय सेक्टर स्कीम को लागू कर रही है अर्थात जो रेशम उद्योग के विकास के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी अंतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल, बीज संगठन, समन्वय और बाजार विकास और गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली या ब्रांड संवर्धन तथा प्रौदयोगिकी उन्नयन के प्रयोजनों के लिए एक एकीकृत स्कीम है।

और, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, अपने क्षेत्र की इकाईयों या राज्य रेशम उत्पादन विभागों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से फायदा के सीधे अंतरण के अधीन सहायतार्थ धन (नकद या माल के रूप में) का केन्द्रीय हिस्सा जारी करता है, जिसके अंतर्गत राज्यों का हिस्सा, जहाँ लागू है, भी है;

और उपरोक्त सहायतार्थ धन में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्विहित है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् : -

1. (1) इस स्कीम के अधीन सहायतार्थ धन प्राप्त करने के इच्छुक फायदाग्राहियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) कोई भी फायदाग्राही जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उन्हें 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक है, यदि वह फायदाग्राही उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के हकदार हों और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जा सकते हैं ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जिसके अनुसार किसी व्यष्टि को जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है आधार प्रस्तुत करना अपेक्षित है, फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना है और उस दशा में जहां निकटता में आधार के लिए संबंधित ब्लॉक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर मंत्रालय स्वयं आधार नामांकन सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

परंतु उस समय तक जब तक कि फायदाग्राहियों को आधार समानुदेशित नहीं किया जाता है, ऐसे फायदाग्राहियों को सीधा फायदा अंतरण के अधीन सहायतार्थ धन (नकद या माल के रूप में) निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदा दिया जाएगा, अर्थात् :

क. (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसका आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

ख. (i) बैंक पासबुक जिसमें फोटो है; या (ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जॉब कार्ड; या (vii) किसान फोटो पास बुक; या (viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुपालन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (ix) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक पत्र शीर्ष पर जारी फोटो के साथ पहचान प्रमाणपत्र; या (x) मंत्रालय द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई भी अन्य दस्तावेज़ ।

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से मंत्रालय द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा बाधा रहित फायदा उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:

(क) मीडिया और व्यष्टिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार फायदाग्राहियों को दिया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें सलाह दी जाए कि यदि वे पहले ही नामांकित नहीं हैं तो निकटतम नामांकन केंद्र में 30 जून, 2017 तक खुद का नामांकन करवाएँ । स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें (www.uidai.gov.in में सूची उपलब्ध) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही ब्लॉक या तालुक या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण नामांकन करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो मंत्रालय को अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं तैयार करना आवश्यक है और, फायदाग्राही अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट अन्य विवरण के साथ कार्यान्वयन

अभिकरणों के पदाभिहित अधिकारी अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए नामांकन हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

(3) यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 25017/04/2017-रेशम]

पुनीत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

S.O. 1292(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and hassle free manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Textiles (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Central Sector Scheme namely, Integrated Scheme for the Development of Silk Industry (hereinafter referred to as the Scheme), for the purposes of Research and Development, Training, Transfer of Technologies and Information Technology initiatives, Seed Organisation, Co-ordination and Market Development, and Quality Certification Systems or Brand Promotion and Technology Upgradation, through the Central Silk Board, a Statutory Body established under the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), under the Ministry;

And, whereas, the Central Silk Board releases central share of subsidy (in cash or kind) under Direct Benefit Transfer to the bank accounts of the Sericulture beneficiaries (hereinafter referred to as the beneficiaries) through its Field Units or the State Sericulture Departments (hereinafter referred to as the Implementing Agencies) including the States' share wherever applicable;

And whereas, the aforesaid subsidies involve recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby notifies the following, namely:—

1. (1) The beneficiaries desirous of availing subsidy under the Scheme are required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any beneficiary who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 in case he or she beneficiary is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by the Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, the subsidy (in cash or kind) under Direct Benefit Transfer to the beneficiaries shall be given subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) bank passbook with photograph; or (ii) voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) ration card; or (iv) permanent account number (PAN) Card issued by the Income-Tax Department; or (v) passport; or (vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Job Card; or (vii) kisan Photo passbook; or (viii) the driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act,1988; (ix) certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (x) any other documents as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specially designated by the Ministry through its Implementing Agency for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June,2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officer of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 25017/04/2017-Silk]

PUNEET AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.01 22:40:38 +05'30'